न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/358

मोडू लाल आत्मज श्री कालूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश माता छीता बाई ।
2. प्रेमचन्द माता छीता बाई ।
3. धन्नी माता छीता बाई पत्नी श्री शंकर लाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. महावीर आत्मज श्री मोडूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. कमली पुत्री किशोर पत्नी तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मायाराम स्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद में कुल 12 किता की 9.11 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के शामलाती खतो में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/6, व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 3 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 का 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपने 1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण उक्त भूमि के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में से 1/6 हिस्से के खातेदार हैं । वादीगण वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/6 हिस्से की भूमि को वादीगण के अलग खाते दर्ज किया जावे तथा लगान पृथक से कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त भूमि के किसी भी भाग को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन अथवा बेचान नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया था । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं बंटवारे हेतु दायर किया हुआ है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है परन्तु पक्षकारों के द्वारा लोक अदालत में कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई थी । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् अपीलान्ट के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था जिसमें भी दिनांक 08.07.2015 की तारीख पेशी थी । इन तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्ट के दावे में आगामी तारीख पेशी 03.08.2015 दी गई और अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के दादा सुक्खा ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पिता और रेस्पोडेन्ट के मध्य बंटवारा कर लिया था उसके अनुसार अपीलान्ट अपने खाते में 4.74 हैक्टर आराजी दर्ज कराने का अधिकारी है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा तय किये बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । लोक

अदालत की जानकारी समस्त पक्षकारों को दी जाती है । इसके बावजूद अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए वो लोक अदालत में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते थे। अपीलान्ट पगडी के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अधिक हिस्सा चाहते हैं जबकि पगडी के आधार पर जमीन में अधिक हिस्सा प्रदान नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 08.07.2015 को प्रतिवादी महावीर वादी सुरेश और प्रतिवादी क्रम 3 के पुत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है और लोक अदालत में ही प्रतिवादी क्रम 2 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है और उसी दिन दावा डिक्री करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारों ने कोई विधिक राजीनामा पेश किया है ।

10. अपीलान्ट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उनके द्वारा एक अन्य दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें भी दिनांक 08.07.2015 की तारीख पेशी नियत थी और उसमें आगामी तारीख पेशी 03.08.2015 दी गई और इस दावे का निस्तारण कर दिया गया जबकि दोनों दावों की वादग्रस्त आराजी समान है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावों को समेकित कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अपील में अपीलान्ट की ओर से उनके द्वारा पेश किये गये दावे मोडू लाल बनाम महावीर 19/14 की प्रमाणित प्रति एंव आदेशिका की प्रति पेश की गई हैं और आदेशिका के अनुसार उसमें आगामी तारीख पेशी 03.08.2015 दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों दावों को समेकित कर निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । साथ ही अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दावे को भी इस दावे के साथ समेकित करते हुए समेकित तनकीयात कायम करते हुए दोनों प्रकरणों में एक साथ विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा